

जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जनजाति सूची में समुदायों का समावेशन

प्रलिमि्स के लिये:

भारत का रजसिट्रार जनरल, अनुसूचित जनजाती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियिम, 1989 के लिये राष्ट्रीय आयोग, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAGY)

मेन्स के लिये:

ST सूची में शामलि करने की प्रक्रिया और मानदंड, भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने **संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) वधियक, 2023** पेश क<mark>िया</mark> है, जिसका लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) सूची में चार समुदायों को शामिल करना है।

• "ग**ड्डा ब्राह्मण (**Gadda Brahmin),'' ''कोली (Koli),'' ''पद्दारी जनजा<mark>त (Paddari Tribe),'' और ''पहाड़ी जातीय समूह (P</mark>ahari Ethnic Group)'' को शामिल करने के प्रस्तावित प्रस्ताव ने आरक्षण लाभों के वितरण <mark>के संबंध</mark> में आशंकाएँ उत्पन्न कर दी हैं।

ST सूची में शामलि करने की प्रक्रिया और मानदंड:

- अनुसूचित सूची में शामिल करने के लिये मानदंड: यह निर्धारित करना कि कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने के योग्य है या नहीं, कई मानदंडों पर आधारित है, जिनमें शामिल हैं:
 - ॰ **नृजातीयता संबंधी लक्षण (Ethnographic Features):** इस समुदाय के विशिष्ट और पहचाने जाने योग्य **नृजातीयता** संबंधी लक्षणों को इसकी जनजातीय पहचान स्थापित करने के लिये माना जाता है।
 - ॰ **पारंपरिक विशेषताएँ:** जनजातीय संस्कृति के प्रतिसमु<mark>दाय की</mark> प्रतिबद्धता का आकलन करने के लिये पारंपरिक प्रथाओं, रीति-रिवाज़ों और जीवनशैली की जाँच की जाती है।
 - ॰ **वशिष्टि संस्कृत:** एक अनोखी और वशि<mark>ष्ट संस्कृत</mark>िकी उपस्थति जो समुदाय को अन्य समूहों से अलग करती है।
 - ॰ **भौगोलिक अलगाव:** विशिष्ट क्षेत्<mark>रों में इसकी ऐ</mark>तिहासिक और निर्तितर उपस्थिति का आकलन करने के लिये समुदाय के भौगोलिक अलगाव को धयान में रखा जाता है।
 - ॰ **पछिड़ापन:** समुदाय को <mark>होने वाले नुक</mark>सान के स्तर का मूल्यांकन करने के लिये सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार किया जाता है।
 - हालाँक भारतीय संवधान ST की मान्यता के मानदंड को परभाषित नहीं करता है।
- किसी समुदाय को ST सूची में जोड़ने की प्रक्रिया:
 - ॰ यह प्रक्रिया राज्य या केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर शुरू होती है , जहाँ संबंधित सरकार या प्रशासन एक विशिष्ट समुदाय को शामिल करने की सिफारिश करता है ।
 - ॰ प्रस्ताव को परीक्षण और आगे के विचार-विमर्श के लिये **केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय** को भेजा जाता है।
 - ॰ इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने विचार-विमर्श से प्रस्ताव की जाँच करता है और इसे भारत का महापंजीयक (Registrar General of India) को भेजता है।
 - एक बार RGI द्वारा अनुमोदित होने के बाद प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है जिसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को वापस भेजा जाता है।
 - किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना तभी प्रभावी होता है ज<u>ब लोकसभा</u> और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 [Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950] में संशोधन करने वाले विधयक को मंज़्री दे देता है।

भारत में अनुसूचति जनजातियों की स्थतिः

- संवैधानकि परावधान:
 - ॰ **अनुच्छेद 366(25):** यह केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करता है:
 - इसमें अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और समुदायों के भाग या समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है"।
 - ॰ **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों अथवा उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
 - <u>पाँचवीं अनुसूची</u>: यह छठी अनुसूची में शामलि राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान निर्धारित करती है।
 - ॰ <u>छठी अनुसूची</u>: यह असम, मेघालय, त्रपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- वैधानिक प्रावधान:
 - ॰ अस्पृश्यता के वरिद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनयिम, 1955
 - ॰ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियिम, 1989
 - ॰ <u>पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधनियिम (PESA), 1996</u>
 - ॰ अनुसूचित जनजात और अनुय पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मानयता) अधिनियिम, 2006।
- संबंधित सरकारी पहलें:
 - ॰ एकलवय मॉडल आवासीय वदियालय
 - ॰ परधानमंतरी आदि आदरश गराम योजना
 - ॰ प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मशिन
 - ॰ वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का विकास

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

<u>?|?|?|?|?|?|?|?|:</u>

प्रश्न. निम्नलखिति युग्मों पर विचार कीजिय: (2013)

जनजाति राज्य

- लिम्बू सिक्किम
 कार्बी हिमाचल प्रदेश
 डोंगरिया कोंध ओडिशा
- 4. बोंडा तमलिनाडु

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलति हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखिति में से किसके लिये किये गए हैं?(2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये
- (b) राज्यों के बीच सीमाओं के नरिधारण के लिये
- (c) पंचायतों की शक्तयों, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करने के लिये
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिये

उत्तर: (a)

[?][?][?][?]:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख विधिक पहलें क्या

हैं? (2017)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/inclusion-of-communities-in-jammu-and-kashmir-s-scheduled-tribes-list

